फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़, जयपुर

अजय मीणा वनाम राजू व अन्य

प्रार्थना पत्र संख्या 23/2021

19—02—2021	प्रार्थी की ओर से एडवोकेट श्री किशनलाल बैरवा ने प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण पेश किया। अन्तरिम आदेश हेतु प्रार्थी के अधिवक्ता को एकपक्षीय सुना गया। प्रार्थी के अधिवक्ता को सुनने एवं पत्रावली, जमाबन्दी, का अवलोकन करने तथा दस्तावेजों का अवलोकन करने पर प्रार्थीगण का प्रकरण प्रथम दृष्टया मामला सुदृढ़ एवं सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम मीणों का बाढ़ तहसील जमवारामगढ़ मे स्थिति भूमि खसरा नं. 202, 203, 198, 396/345, 344, में अप्रार्थी संख्या 1 हिस्सा 1/20 में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी नहीं करें, किसी प्रकार से बैचान हस्तातंरण नहीं करें, प्रार्थी के उपायेग उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करें, रहन, बिरवी, मुख्त्यारआम नहीं करें, मौका एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे उक्त कार्य ना तो अप्रार्थीगण स्वयं करें, ना ही अपने कर्जदार या उजेन्ट सर्वेन्ट इत्यादि से करवाये। तथा अन्य सहखातेदार उपरोक्तज स्थगन आदेश से मुक्त रहेगे। उक्त आदेश पर कोई आपत्ति हो तो न्यायालय हाजा में आगामी तारीख पेशी को पेश करें। पत्रावली दिनांक 18/3/2021 को वास्ते तलबी अप्रार्थीगण पेश हो। उप खण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ (जयपुर)
18/3/21	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०। पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते तलबी/ ... दिनांक 17/6/2021 को पेश हो। (विश्राम मीना) उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़
17/6/21	पत्रावली पेश हुई P... ... पूर्वानुसार वास्ते ... दिनांक 13/9/21 को पेश हो।

13/9/21 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित
पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते तलबी / जवाब [illegible]
दिनांक 13/12/21 को पेश हो।

(विश्वामित्र मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

13/12/21 पत्रावली आज प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 कैम्प [illegible] में पेश हुई। उभय पक्षों में सहमति नहीं हुई। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 30/3/22 को पेश हो।

अजय मीणा

शिविर प्रभारी
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ (जयपुर)

18/1/22 पत्रावली मूलवाद में [illegible] का प्रार्थना दिनांक 30/12/21 को पेश होने पर आज पेश हुई मूलवाद को [illegible] कर खारिज किया गया है अब इस प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं है इसलिये खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] में जमा हो बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

(विश्वामित्र मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़